पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश

राष्ट्रीय लोक अदालत में 725 उपभोक्ता मामलों का निस्तारण, 22.21 करोड़ रुपये से अधिक का समाधान

लखनऊः 12 सितम्बर, 2026

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एवं प्रदेश के विभिन्न जिला उपभोक्ता आयोगों में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से उपभोक्ता विवादों के त्वरित एवं प्रभावी समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कार्यवाही की गई। राज्य उपभोक्ता आयोग एवं प्रदेश के जिला उपभोक्ता आयोगों में कुल 1217 मामले सूचीबद्ध किए गए, जिनमें से 725 मामलों का निस्तारण किया गया।

राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित मामलों के माध्यम से कुल 22 करोड़ 21 लाख 62 हजार 340 रुपये की धनराशि का समाधान (Settlement) हुआ। इस प्रकार बड़ी संख्या में उपभोक्ता विवादों का आपसी सहमति एवं समाधान के माध्यम से निस्तारण कर संबंधित पक्षकारों को राहत प्रदान की गई।

राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों के निस्तारण के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग, बस्ती ने उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए सर्वाधिक 67 मामलों का निस्तारण किया। वहीं समाधान की गई धनराशि के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग, गौतमबुद्धनगर ने सर्वाधिक 2 करोड़ 60 लाख 83 हजार 254 रुपये की धनराशि का समाधान कराया।

सम्पर्क सूत्र– अमरेश कुमार

राघवेन्द्र / 05:50 PM

फोन नम्बर Direct : 0522–2239023 ई0पी0बी0एक्स0: 0522–2239132,33,34,35 एक्सटेंशन : 223 224 225
फैक्स नं0 : 0522–2237230 0522–2239586 ई–मेल : upsoochna@gmail.com,
वेबसाइट :www.information.up.gov.in